बिहार विधान परिषद **ध्यानाकर्षण**

राज्य में भारतीय रिजर्व बैंक की देखरेख में संचालित नॉन बैंकिंग कम्पनियों में से एक सहारा इंडिया कंपनी भी संचालित है। जिसका कार्यालय राज टावर, बोरिंग रोड, पटना में है। कंपनी द्वारा अपने नीतिगत प्रावधान के तहत मियादी, आवर्ती एवं दैनिक खातों में करोड़ों रुपया का निवेश कराया गया है। सहारा इंडिया के फुलवारीशरीफ, चितकोहरा बाजार, एस.के.पूरी एवं डाकबंगला स्थित शाखा प्रबंधकों द्वारा विभिन्न खाता में जमा राशि के मैच्युरिटी के समय धनराशि का भुगतान निवेशकों को एक मुश्त में नहीं किया जा रहा है तथा महीनों भुगतान के लिए निवेदकों को टहलाया जा रहा है तथा पुन: निवेश के लिए बाध्य किया जा रहा है। निवेशकों को वर्षों से मैच्युरिटी राशि एवं क्यू सोप योजना की राशि को पुन: निवेश के लिए बाध्य किया जा रहा है। गरीब निवेशकों ने अपनी गाढ़ी कमाई का निवेश बच्चों की पढ़ाई एवं बच्चियों की शादी के उद्देश्य से किया था, वह पूरा नहीं हो पा रहा है। निवेशकों एवं कंपनियों के प्रतिनिधियों के बीच रोज झगड़ा-झंझट हो रहे हैं। इस कंपनी की कारगुजारियों को लेकर निवेशकों में त्राहिमाम मचा हुआ है। दूसरी ओर, सरकार के अधिकारीगण मूकदर्शक बने हुए हैं। और कंपनी के प्रबंधकों पर कोई कार्रवाई अब तक आरंभ नहीं हुई है। सरकारी सहयोग के लिए आम निवेशक जानकारी के अभाव में भटक रहे हैं।

अत: सहारा इंडिया कंपनी एवं इसके शाखा प्रबंधकों द्वारा की जा रही गैर कानूनी कार्यों की जांच कराकर संबंधित लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने, निवेशकों की जमा धनराशि एक मुश्त वापस दिलाने, सरकारी स्तर से किए जा रहे उपाय को जनसाधरण में प्रचारित करने तथा राज्य में संचालित इस तरह की सभी नॉन बैंकिंग कम्पनियों को नियमानुसार अपना व्यापार करने के लिए प्रतिबंधित करने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- सुबोध कुमार, स.वि.प
ह0/- दिलीप राय, स.वि.प. एवं
ह0/- राधाचरण साह, स.वि.प.

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-138/2018 – 637 (1) वि.प. पटना,दिनांक- 19.03.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ वित्त विभाग ,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 21/3/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 20.03.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

सारण जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं शिक्षा उप निदेशक अपनी पदस्थापना के समय से नियम के विपरित कार्य करके अवैध सम्पत्ति को अर्जित करने में लगे हुए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षकों को मनचाहे स्थानों पर ट्रांसफर एवं पोस्टिंग करके काफी अवैध राशि की उगाही की चर्चा सर्वत्र हो रही है। इतना ही नहीं विगत दिनों टी.ई.टी. की परीक्षा में परिक्षार्थियों को पास कराने हेतु छपरा से बाहर के शिक्षकों को बुलाकर मनचाहा केन्द्र पर तैनात करा दी गई, जहां पर दागी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, माझी को उक्त परीक्षा केन्द्राधीक्षक बनाकर टी.ई.टी. अभ्यर्थियों को पास कराने का कार्य कराया गया, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी की बहू भी थी।

अत: ध्यानाकर्षण के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं शिक्षा उपनिदेशक, सारण द्वारा अर्जित अवैध सम्पत्ति की जांच निगरानी विभाग से कराने तथा भ्रष्टाचार में लिप्त इन सारी प्रकरणों से जुड़े पदाधिकारियों, कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु सदन में सरकार से एक ठोस वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- नीरज कुमार, स.वि.प.

ह0/- वीरेन्द्र नारायण यादव, स.वि.प. एवं

ह0/- राणा गंगेश्वर सिंह, स.वि.प.

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-148/2018 –660 (1) वि.प. पटना,दिनांक- 20.03.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 21/3/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें ।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह 20.03.18

(नवल किशोर सिंह)

अवर सचिव

बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद

माननीय सभापति महोदय,

समस्तीपुर जिला के शाहपुर रेलवे स्टेशन से बाहर लोक निर्माण विभाग के पथ किनारे बाबा साहेब डा. भीम राव अंबेदकर साहेब की प्रतिमा लगी थी जिसे आमलोगों के चंदा एवं सहयोग से नया एवं भव्य प्रतिमा लगाने के क्रम में रेल अधिकारी एवं रेल सुरक्षा बल द्वारा रोक लगा दिया है जिससे स्थानीय लोगों में काफी रोष है। इस चौराहा का नामकरण वर्षो से अम्बेदकर चौक है जिसके कारण चौराहे के दुकानों के साईन बोर्ड पर अम्बेदकर चौक दर्ज है इस चौक के लोगों का वोटर पहचान पत्र राशन कार्ड एवं आधार कार्ड पर भी अम्बेदकर चौक दर्ज है। अम्बेदकर चौक रेलवे भूमि से अलग राज्य सरकार का लोक निर्माण विभाग का पथ है।

इस चौराहे पर अम्बेदकर साहेब की नयी प्रतिमा लगाने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- राणा गंगेश्वर सिंह
स0वि0प0 एवं
ह0/- शिव प्रसन्न यादव
स0वि0प0

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-112/2018 – 602 (1) / वि.प. पटना, दिनांक- 16.03.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग बिहार/पथ निर्माण विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ(एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु)प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 21/3/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें ।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह 16.03.18
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

जहानाबाद जिला के मखदुमपुर प्रखंड के धराउत गांव में पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटक केन्द्र निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य योजना उद्व्यय से 5,59,62,000/-(पांच करोड़ उनसठ लाख बासठ हजार रूपया मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी । पर्यटन विभाग द्वारा दिनांक-19/1/2015 को स्वीकृत्यादेश के आलोक में एक लाख रूपए की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति भी प्रदान की गई । इस योजना की कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम है। राशि स्वीकृति होने के बावजूद अब तक पर्यटन विभाग द्वारा न तो यहां कोई कार्य कराया गया और न ही पर्यटन विकास निगम की कोई दिलचस्पी इन योजना के कार्यान्वयन में दिख रही है। आधारभूत संरचना के अभाव में पर्यटन पर अत्यंत गंभीर असर पड़ रहा है।

अतः इस योजना के शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयन के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं ।

1. ह0/- दिलीप कुमार चौधरी, स.वि.प.
2. ह0/- सूरज नंदन प्रसाद, स0वि0प0
3. ह0/- रामचन्द्र भारती, स0वि0प0 एवं
4. ह0/- तनवीर अख्तर , स0वि0प0

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-113/2018 – 603 (1) / बि.प. पटना, दिनांक- 16.03.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ पर्यटन विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 21/3/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे ।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह
(नवल किशोर सिंह) 16.03.18
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

राज्य सरकार प्रारंभिक शिक्षकों के पदों की गणना छात्रों की उपस्थिति के आधार पर करती है। जबकि राज्य सरकार को केन्द्रांश-राज्यांश विद्यालयों में नामांकित छात्रों के अनुरूप प्राप्त होता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक- 17/1/2017 से प्राप्त सूचना के आधार पर राज्य में प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ग 1-5 हेतु एक लाख आठ हजार नौ सौ उन्नासी एवं वर्ग 6-8 हेतु तिहत्तर हजार नौ सौ पैंसठ शिक्षक का पद रिक्त है।

टी.ई.टी. 2011 के तहत उत्तीर्ण अभ्यर्थी की वैधता मात्र एक वर्ष शेष रह गया है। 2017का भी संशोधित रिजल्ट प्रकाशित हो चुका है।

अत: राज्य सरकार विद्यालयों में नामांकित छात्रों के अनुरूप गणना करते हुए शिक्षक के रिक्त पदों पर टी.ई.टी. -2011 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति करने के संबंध में सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- देवेश चन्द्र ठाकुर
स.वि.प.

ज्ञापांक : वि0प0अ0प्र0-111/2018 – 601 (1)/ वि.प. पटना, दिनांक- 16.03.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ शिक्षा विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 21/3/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह
(नवल किशोर सिंह) 16.03.18
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की पांच बसें पर्यटन निगम मुख्यालय के पीछे पार्किंग में खड़ी है। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को लुभाने के लिए मंहगे और आरामदायक बसों को राज्य सरकार ने खरीदा था । वाल्वों की चार बस वर्ष 2008 में खरीदी गयी थी उसमें से दो बस पिछले दो माह से खराब पड़ी है। दो बस किसी तरह चल रही है एक बस की कीमत 80 लाख से अधिक है। पर्यटन निगम की चार अन्य लग्जरी बस जापानी कंपनी इसूजी की है। जिससे वर्ष 2013 में 152 लाख रूपये की लागत से खरीदी गयी थी। जिसमें से दो बस पिछले तीन माह से बंद है । पर्यटन निगम पर लाखों रूपये से अधिक बकाया है जिसके कारण कम्पनी बस मरम्मत नहीं कर रहा है।

अतः इस संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं ।

ह0/- राधा चरण साह
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-109/2018 – 599 (1) वि.प. पटना,दिनांक- 16.03.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ पर्यटन विभाग ,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 21/3/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें ।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह 16.03.18
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्   ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

दिनांक-22.7.2011 के पटना के दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्थान' मे राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के हड्डी रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए विज्ञाप्ति प्रकाशित की गई थी । विज्ञप्ति में आवेदकों की अधिकतम उम्र सीमा 31 जुलाई 2011 तक 55 वर्ष रखी गई थी। साक्षात्कार के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना सं.-1091 (2) स्वास्थ्य, दिनांक- 29 सितम्बर,2011 के द्वारा डा. एच.एन. दिवाकर (हरिहर नाथ दिवाकर) चिकित्सा पदाधिकारी को लोक नायक जय प्रकाश नारायण हड्डी रो अस्पताल ,राजवंशी नगर का कार्यकारी निदेशक मनोनीत किया गया है विज्ञप्ति के अनुरूप इनकी नियुक्ति नहीं की गई है। उम्र सीमा को शिथिल किये बिना अधिक उम्र होने पर भी इनकी नियुक्ति विशेषज्ञ चिकित्सक के पद पर की गई है। डा. दिवाकर के द्वारा अनियमितता बरतने तथा दिनांक- 27.3.2000 से दिनांक- 4.6.2007 तक सदर अस्पताल गोपालगंज में बगैर डयूटी किये ही वेतन भुगतान एवं अनाधिकृत अवकाश लेते रहे जिसकी पुष्टि समाहारणालय गोपालगंज (जिला प्रबंधन) के पत्रांक-600 (आ.प्रा.) दिनांक 8.9.2011 के द्वारा की गई है। विभागीय ज्ञापांक- 338 (9) दिनांक-29.2.2012 के द्वारा उन पर विभागीय कार्रवाई की गई थी और उनका तीन वेतन वृद्धि पर रोक लगी थी, फिर भी उनका वेतन वृद्धि नहीं रोका जा सका। फिलहाल विभागीय अधिसूचना सं.328 (3)/स्वा., दिनांक-24.8.15 के द्वारा निदेशक प्रमुख के पद पर आसीन है और इन्हें लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में श्री निदेशक के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है और ये अतिरिक्त प्रभार अस्पताल से वेतन ले रहे हैं। जिससे न्यायोजित प्रतीत नहीं हो रहा है।

अत: मैं सरकार से इन तथ्यों की उच्च स्तरीय जांच कराकर कार्रवाई करने, इनके पदस्थापन से लेकर उच्च पद तक की अनदेखी करने वालों के क्रिया कलापों के विरूद्ध भी दण्डात्मक पहल करने हेतु सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./-नवल किशोर यादव,स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-149/2018 - 670 (4)   वि.प.। दिनांक- 20.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ स्वास्थ्य विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-21.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह

(नवल किशोर सिंह) 20.03.2018

अवर सचिव

बिहार विधान परिषद्